राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक एफ. 15 (20) वन / 94 　　　　　　　　　　जयपुर, दिनांक 20--7--2004

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर।

विषय : कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी की प्रचलित दर में वृद्धि बाबत (वर्ष 2004--05)

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 5--6--2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र के अतिक्रमण में वर्ष 2004--05 से वन विभाग से वितरण होने वाले पौधों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :--

1. पौध वितरण की प्रचलित दर 2.00 रूपये एवं 5.00 रूपये को बढ़ाकर क्रमशः 2.50 रूपये एवं 6.00 रूपये की जाती है। उक्त दरें निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों कृषकों के लिये एक समान ही रखी जाती है।

2. समस्त राजकीय विभागों / कार्यालयों को निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने की व्यवस्था समाप्त की जाती हैं। अपवाद स्वरूप पाठशालाओं शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में पौध रोपित करने के लिये शिक्षण संस्थान के लिखित आवेदन पर अधिकतम 100 पौधे तथा राज्य जिला, उप खण्ड, तहसील / रेंज स्तरीय एवं अन्य स्थानों पर आयोजित सामूहिक वन महोत्सवों के लिये उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जावेंगे।

उक्त पौध वितरण की व्यवस्था दिनांक 1--4--2004 से लागू की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय--1) विभाग की आई. डी. संख्या 591 दिनांक 9--3--04 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीय,

विशिष्ठ शासन सचिव